

आमन्दा दिनांक ०५.१.२३ को पेश हो।

०५^{०१}/_{२३}

पत्रावली पेश हुई वकील वादी व वादी को बार-बार
आवाज लगावाई गई कोर्ट हाजिर नहीं आए इस लिए
पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज की जाती है
पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर
फाखील देफतर हो।

उपस्थंड अधिकारी, चिडावा